एक नजर में

नुक्कड़ नाटक के जरिये युवाओं को तंबाकू से बचाने का संदेश

इंदौर . तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों को समझाने के लिए जिला अस्पताल परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नाटक के जरिए युवतियों ने प्रभावी संदेश दिया. तंबाकू मुक्त युवा 3 .0 अभियान के तहत जिला अस्पताल में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया. निजी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने यह प्रस्तुति दी, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को सरल और प्रभावी तरीके से दर्शाया गया. नाटक देखने पहुंचे युवाओं और महिलाओं को तंबाकू से दूरी बनाए रखने एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई. कार्यक्रम में सिविल सर्जन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उनके साथ आरएमओ सतीश नेमा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. पारस रावत, प्रबंधक प्रगेस भट्ट, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल में मौजूद मरीज भी शामिल हुए. अधिकारियों ने तंबाकू के बढ़ते दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए युवा पीढ़ी से सचेत रहने की अपील की.

विश्व एड्स दिवस पर जागरण रैली आज

इंदौर. विश्व ऐड्स दिवस 1 दिसंबर को जिला स्वास्थ्य विभाग एड्स जागरूकता के लिए शहर में जागरण रैली निकालने जा रहा है. सुबह 8 बजे राजबाड़ा से शुरू होकर यह रैली गांधी हॉल तक पहुंचेगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 से 7 दिसंबर तक एड्स जागरूकता सप्ताह भी मनाया जाएगा. सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी के अनुसार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रैली डॉ. शैलेन्द्र जैन के निर्देशन में निकाली जाएगी. इसमें एड्स नियंत्रण से जुड़े शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी, रेड रिबन क्लब के सदस्य, नर्सिंग स्टूडेंट्स सहित लगभग एक हजार प्रतिभागी शामिल होंगे. रैली में स्लोगन वाली तख्तियां, पोस्टर, बैनर और बैटरी माइक के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएंगे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जनवरी से अक्टूबर 2025 तक जिले में 34 हजार 208 सामान्य पुरुषों और 36 हजार 182 गर्भवती महिलाओं सहित कुल 70 हजार 320 लोगों की एचआईवी जांच की गई है. कार्यक्रम के जिला अधिकारी डॉ. जैन ने बताया कि इंदौर शहर व जिले में फिलहाल 519 एचआईवी पॉजिटिव मरीज पंजीकृत हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है. इनमें 496 सामान्य मरीज और 23 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं. सभी मरीजों का नियमित उपचार जारी है और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं.

लॉरेल्स स्कूल इंटरनेशनल को आदित्य ने बनाया फुटबॉल विजेता

इंदौर . लॉरेल्स स्कूल इंटरनेशनल में प्रथम जेएमसी इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 27 नवंबर तक किया गया, जिसमें इंदौर के लगभग 15 विद्यालयों ने भाग लिया. प्रतियोगिता में लॉरेल्स स्कूल इंटरनेशनल ने शिशुकुंज इंटरनेशनल जेएचएल को 3-1 से हराकर जेएमसी कप अंडर-17 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया. तीन दिनों तक चले इस रोमांचक टूर्नामेंट में शहर के कई शीर्ष स्कूलों ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया. यह जानकारी लॉरेल्स स्कूल इंटरनेशनल की प्राचार्या तारा नायर ने दी. उन्होंने बताया कि विभिन्न मुकाबलों में शिशुकुंज इंटरनेशनल जेएचएल, शिशुकुंज इंटरनेशनल नॉर्थ कैंपस, लॉरेल्स स्कूल इंटरनेशनल, एडवांस्ड एकेडमी और श्री सत्य साईं विद्या विहार ने प्रभावशाली जीत दर्ज की. नॉकआउट राउंड में एडवांस्ड एकेडमी, शिशुकुंज जेएचएल, शिशुकुंज नॉर्थ कैंपस और लॉरेल्स ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में शिशुकुंज जेएचएल ने एडवांस्ड एकेडमी को 1-0 से हराया, जबकि लॉरेल्स ने नॉर्थ कैंपस पर 7-3 की बड़ी जीत दर्ज की. फाइनल में मेजबान लॉरेल्स स्कूल इंटरनेशनल ने मजबूत खेल और अनुशासित प्रदर्शन के साथ खिताब अपने नाम किया. आदित्य कुमार सिंह को टूर्नामेंट का श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया. विजेता टीम को ट्रॉफी और स्वर्ण पदक तथा उपविजेता टीम को ट्रॉफी व रजत पदक देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्या श्रीमती तारा नायर, उपप्राचार्य प्रफुल्ल जैन, उपप्राचार्या श्रीमती देवश्री जोशी लोहिया, प्रधान अध्यापिका श्रीमती मिलन पांड्या, खेल अधिकारी डॉ. अखिल नायर व सुनील टांबरेकर, संचित कमल, वैष्णवी राठौर, गौतम लश्करी, मोनिश धौलपुर, हिमांशु त्रिवेदी, रेणुका डोडिया उपस्थित रहे.

मेनारिया ब्राह्मण समाज-52 श्रेणी की नई निर्विरोध कार्यकारिणी घोषित

इंदौर. मेनारिया ब्राह्मण समाज-52 श्रेणी में आपसी सौहार्द, एकता और सहयोग की मिसाल पेश करते हुए नई कार्यकारिणी निर्विरोध घोषित की गई. समाज भवन में आयोजित साधारण सभा में वरिष्ठजन, युवाओं तथा पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मतदान की प्रक्रिया समाज में अनावश्यक मतभेद तथा तनाव को जन्म देती है, इसलिए समाज के हित में बिना चुनाव के ही नई टीम का चयन किया जाए. सभा में समाज के आराध्य देव श्री ममलेश्वर महादेव को साक्षी मानकर 24 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया. कार्यकारिणी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि वे भगवान ममलेश्वर महादेव को ही समाज का वास्तविक अध्यक्ष मानते हुए समाज सेवा, संगठन विस्तार और युवा शक्ति को संगठित करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे. समाज के वरिष्ठ जनों को लेकर मार्गदर्शक कमेटी का गठन भी किया गया है, क्योंकि समाज की हो रही गतिविधियों को समाज के वरिष्ठ जन की निगरानी में नई कार्यकारिणी अंजाम देगी. कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ अग्रणीजनों, युवाओं तथा गणमान्य सदस्यों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही. सभा के अंत में नई कार्यकारिणी ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि समाज कल्याण, शिक्षा प्रसार और सामाजिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

29 बड़े पेड़ों को काटने की बजाय स्थानांतरित करने का निर्णय

- कैंटोनमेंट बोर्ड और ब्रिज कार्पोरेशन बनाएगा 240 मीटर का सर्विस रोड

महू. किशनगंज आरओबी निर्माण फिर से शुरू करने के पहले कैंटोनमेंट बोर्ड और ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा पहले 240 मीटर की सर्विस रोड निर्माण की योजना बनाई है. इस सर्विस रोड में 29 बड़े पेड़ भी आ रहे हैं, जिन्हें काटने की बजाय स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है. सर्विस रोड बनाए बिना अब ब्रिज निर्माण कार्य शुरू करना मुश्किल हो रहा है. इसलिए गत दिवस दोनों विभागों के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और निर्णय यह निर्णय लिया. छावनी परिषद के सेनेटरी सुप्रीटेंडेंट मनीष अग्रवाल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को पेड़ स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. विशेषज्ञ टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पेड़ों की स्थिति, जड़ संरचना और ट्रांसप्लांट की संभावनाओं का आकलन किया.

10 दुकान-मकान हटेंगे

विकास की आवश्यकता को देखते हुए किशनगंज नाके पर पहले 80 फीट तक अतिक्रमण हटाने की योजना थी. इसमें बड़ी संख्या में मकान-दुकान प्रभावित हो रहे थे. रहवासियों की आपत्ति और स्थानीय सुझावों को ध्यान में रखते हुए सर्विस रोड की चौड़ाई अब 50 फीट तय की गई. संशोधित प्रस्ताव में करीब 10 दुकान-मकानों को हटाया जाएगा. इसके बदले पक्की सेवा सड़क बनाकर महू-इंदौर मार्ग की यातायात समस्या को नियंत्रित किया जाएगा.

ब्रिज के दोनों छोर पर बनेगी 100 मीटर की रिटर्निंग वाल

आरओबी परियोजना शहर की भविष्य की यातायात जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी. ओल्ड एबी रोड पर बन रहा यह ब्रिज 765 मीटर लंबा है और इसके दोनों छोर पर 100 मीटर की रिटर्निंग वाल बनाई जा रही है, ताकि इसे मुख्य सड़क से मजबूती से जोड़ा जा सके. निर्माण अवधि के दौरान बढ़ रहे जाम को कम करने के लिए सर्विस रोड महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा.

सर्विस रोड आगे भी आएगा काम

सर्विस रोड बनने के बाद भी इसका उपयोग केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रहेगा. ओल्ड एबी रोड और महू-इंदौर मार्ग के व्यस्त चौराहे पर यातायात दबाव बढ़ने की स्थिति में यह सड़क एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम आएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में होने वाले सड़क विस्तार कार्यों में ग्रीन डेवलपमेंट की दिशा दिखा सकता है. महू क्षेत्र में पहली बार किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पेड़ों को काटने की बजाय संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है.

महू क्षेत्र में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई 220 लीटर कच्ची शराब जब्त

नव भारत न्यूज

इंदौर. आबकारी विभाग ने महू के कई क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब निर्माण और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. टीम ने बड़ी मात्रा में शराब और महुआ-लहान नष्ट किया.

आबकारी विभाग की टीम ने महू के भौंडिया तालाब, बंजारी, भाटखेड़ी सहित कई इलाकों में एक साथ दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया. नियंत्रण कक्ष प्रभारी देवेश चतुर्वेदी और उप प्रभारी मनोज अग्रवाल के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक खत्री, कमलेश सोलंकी, गोपाल यादव और पवन टिकेकर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. दस स्थानों पर की गई छापामार कार्रवाई में आठ प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए. टीम ने करीब 220 लीटर कच्ची शराब जब्त की, जबकि 1850 किलो महुआ-लहान मौके पर ही नष्ट किया. जब्त और नष्ट किए गए पदार्थों की कुल कीमत लगभग ढाई लाख रुपए बताई जा रही है. कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक बी.डी. अहिरवार, सुनील मालवीय, मीरा सिंह, आशीष जैन, मीना माल, त्रिअंबिका शर्मा और कृतिका द्विवेदी शामिल रहे. इनके साथ आरक्षक ओमप्रकाश साहू, कमलेश निहोरे, मोहित रायकवार, एलेन बघेल, विक्रम यादव, विजय सोलंकी, वीरेन्द्र पटेल, विनीता नागराज, विवेक कनाडे, संजय सिंगार, नितिन सोनी, ललित गीते, रीना भिड़े और राहुल जामोद ने भी सहयोग दिया. आबकारी टीम आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी.

विषाद को प्रसाद में बदलने का सनातन ग्रन्थ है गीता

- गीता भवन में 68वें अभा गीता जयंती महोत्सव में स्वामी रामदयाल महाराज का संबोधन

इंदौर. गीता केवल ग्रन्थ नहीं, सार्वभौमिक समस्याओं का शाश्वत समाधान है. संसार समस्या है और गीता समाधान. भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के उपदेश दिए तो अर्जुन को हैं, लेकिन वे हम सबके लिए भी कर्त्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं. अर्जुन की तरह हमारी भी पात्रता होना चाहिए कि हम भगवान श्रीकृष्ण को अपने मन का सारथी बना सकें. जिस दिन हम भगवान को अपना सारथी बना लेंगे, उस दिन हम भी महाभारत की तरह अपना जीवन संग्राम जीत लेंगे. गीता ज्ञान, मोक्ष, वैराग्य, कर्तव्य से लेकर जीवन को परिपूर्ण बनाने वाला ग्रन्थ है. यह विषाद को प्रसाद में बदलने का सनातन ग्रन्थ है. सनातन धर्म और संस्कृति को समझना है तो गीता ज्ञान का आश्रय लेना ही पड़ेगा.

ये दिव्य विचार हैं अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य, जगदगुरू स्वामी रामदयाल महाराज के, जो उन्होंने शुक्रवार को गीता भवन में 68वें अ.भा. गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए.

शुभारंभ समारोह के बाद महोत्सव के पहले दिन रामकृष्ण मिशन इंदौर के सचिव स्वामी निर्विकारानंद, सनातन आर्श विद्या प्रतिष्ठान के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, आगरा से आए वेदांताचार्य हरिन योगी, पानीपत से आई साध्वी ब्रह्मज्योति सरस्वती, लखनऊ के गीता मर्मज्ञ पं. अरविन्द तिवारी, हरिद्वार से आए डॉ श्रवण मुनि, गोधरा से आई साध्वी परमानंदा सरस्वती ने भी दिव्य प्रवचन सुनाए. प्रारंभ में गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष राम ऐरन ने गीता भवन अस्पताल के 17 करोड़ की लागत से केटी ग्रुप, गोयल पारमार्थिक ट्रस्ट एवं बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन तथा मनीष सिंघल के सहयोग से किए जा रहे विकास कार्यों एवं दानदाताओं के सहयोग से प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देते हुए स्वागत उद्बोधन दिया. ट्रस्ट के मंत्री रामविलास राठी एवं कोषाध्यक्ष मनोहर बाहेती ने महोत्सव में आने वाले संतों, विद्वानों एवं अन्य अतिथियों तथा गीता भवन के सेवा कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की.

अखंड धाम के महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी चेतन स्वरूप, हरिद्वार के स्वामी गोपाल मुनि, प्रकाश मुनि एवं श्रवण मुनि, पानीपत से आई साध्वी ब्रह्मज्योति, महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती सहित महोत्सव में आए संतों एवं अतिथियों का स्वागत न्यासी मंडल की ओर से राम ऐरन, रामविलास राठी, मनोहर बाहेती, टीकमचंद गर्ग, प्रेमचंद गोयल, दिनेश मित्तल, हरीश माहेश्वरी, महेशचंद्र शास्त्री, संजीव कोहली, राजेश गर्ग केटी, पवन सिंघानिया मोयरा एवं सत्संग समिति के श्याम मोमबत्ती, रामकिशोर राठी, विष्णु बिंदल, प्रदीप अग्रवाल, अरविन्द नागपाल, त्रिलोकीनाथ कपूर, सुभाष झंवर एवं चंद्रप्रकाश गुप्ता ने किया. अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं उसके पूर्व आचार्य पं. कल्याणदत्त शास्त्री एवं विद्वान ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं शंख ध्वनि के बीच महोत्सव का शुभारम्भ हुआ. संचालन अर्चना ऐरन ने किया. इस अवसर पर समाजसेवी सुरेश शाहरा, पं. कृपाशंकर शुक्ला, दिलीप देव, मुकेश कचोलिया सहित बड़ी संख्या में शहर की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे.

इंटर फ्रंटियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप का समापन

- 200 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाया दम

नव भारत न्यूज

इंदौर. सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, बीएसएफ में आयोजित 15वीं इंटर फ्रंटियर बैडमिंटन प्रतियोगिता-2025 का समापन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ. चार दिनों तक चली इस चैम्पियनशिप में देशभर से आई बीएसएफ टीमों के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने 18 स्पर्धाओं में अपना कौशल दिखाया.

समापन समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम के चर्चित कोच मीर रंजन नेगी थे. महानिरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया. समापन कार्यक्रम में बीएसएफ परिवारों सहित शहर के नागरिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही और 300 से अधिक लोग शामिल हुए. आईजी आलोक कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना के लिए बधाई दी.

उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिस्पर्धाएं राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रतिभाओं के चयन का मार्ग प्रशस्त करती हैं और भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाती हैं. मुख्य अतिथि मीर रंजन नेगी ने खिलाड़ियों को खेल में निरंतरता और समर्पण बनाए रखने की प्रेरणा दी. चार दिवसीय इस प्रतियोगिता के समापन के साथ विजेताओं को पुरस्कृत किया और अगले सत्र की तैयारियों का संदेश भी दिया.

Land for Sale at Kaanha (M.P.)

Clear title land for sale in Kaanha. Ideal for farmhouse and residential plotting. Contact **9074747174 / 9072311440** for further details.

समावेशी साहित्य : प्रासंगिकता एवं उपादेयता पर संगोष्ठी का आयोजन

इंदौर. विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की मप्र इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी का आयोजन, किया गया. शुरुआत डॉ. रेमी जायसवाल की सुमधुर सरस्वती वंदना से हुई. तत्पश्चात विषय प्रवर्तन डॉ. सुमन अग्रवाल द्वारा किया गया. संगोष्ठी की मुख्य अतिथि वक्ता असमा बानो ने समावेशी शिक्षा एवं साहित्य और इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर विस्तार से प्रकाश डाला. कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. हरेराम वाजपेई ने वर्तमान में रामचरित मानस जैसे कालजयी साहित्य की आवश्यकता पर जोर दिया तथा रामचरित मानस को केंद्र में रखकर समावेशी साहित्य पर मूल्यवान उद्बोधन प्रस्तुत किया.कार्यक्रम की संयोजक डॉ. वंदना अग्निहोत्री ने स्वागत किया. संचालन डॉ. बरखा श्रीवास्तव ने किया एवं आभार डॉ. अर्चना चतुर्वेदी ने माना.

Form No. IV
(See Sub Rule 2(A) of Rule 5)
Summon under sub-section 19 of the Act, read with sub rule (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan (BSNL Building),
Near Head Post Office, Residency Road, JABALPUR (M.P.) 482001
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh)

CASE NO. OA NO. 472/2025

Central Bank of India, — **APPLICANT**
-VERSUS
M/s Global Impex and Other — **DEFENDANTS**

To,

1. **M/s Global Impex Through its partners**
   R/o G6, Krishna Apartments, 10 Usha Ganj, Jaora Compund, Indore (M.P.)-452001
2. **Ranjan Chetwani S/o Shri Bagwandas Chetwani**
   R/o Premarjan 34 Padmawati Colony Behind St. Paul School, G.P.O. Indore- 452001
3. **Rohit Patel S/o Shri Harinarayan Patel**
   R/o 30 Patel House Pipliarav 1 to 104, Indore (M.P.) - 452012
4. **Mrs. Shyamli Patel W/o Mr. Hansraj Patel**
   R/o 30, Patel House Piplyarav 1 to 104 Indore (M.P.)- 452012
5. **Mrs. Bhawana Dhakad W/o Mr. Rohit Dhakad**
   R/o 30, Patel House Piplyarav 1 to 104 Indore (M.P.)- 452012
6. **Shri Rajiv Ratan Chetwani @ Rajiv Chetwani S/o Shri Bhagwandas Chetwani**
   R/o B-102, Daffodils Apartment, 3 Sr Layout IST Cross, Murgesh Palya, Bangalore (Karnataka) - 560017

Wheareas, OA No. 472/25 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 09.05.25.

Whereas this Hon'ble Tribunal Please to issue summons/notice on the said Application under 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 1,09,35,259.02/-** with expenses & future interest. (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

(I) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the Original Application;

(iii) You are restrained from dealing with of disposing of secured assets or such others assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **22.12.2025** at **10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal on this the **21st day of November 2025.**

(SEAL)

Authorised Officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

सिडबी sidbi

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
सिडबी टावर' 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001, उत्तर प्रदेश
वेबसाइटः www.sidbi.in

बिक्री की सूचना

चल और अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
नियम 6 (2) & 9(1) के परंतुक देखें

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, के नियम 6(2)9(1) के परंतुक के साथ पठित के अंतर्गत चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस।

एतद्वारा आमजनों को सामान्य रूप से तथा उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल और अचल संपत्ति, जोकि प्रतिभूति लेनदार को बंधक/भारित/गिरवी की गई है, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), प्रतिभूति लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा लिया गया है, जो है जहां है जो है जैसा है और जो भी वहाँ है के आधार पर **दिनांक 20.12.2025** को दोपहर **03:00 बजे** से शाम 04:00 बजे के बीच शुरू होकर सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)**, प्रतिभूति लेनदार को **क्लीनफिट प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा, **श्री जीतेन्द्र प्रकाश चतुर्वेदी, श्री रवि चतुर्वेदी, श्रीमती किशोरी चतुर्वेदी एवं श्री सपन कोठारी** (निदेशक/गारंटर) द्वारा देय राशि **₹ 2,31,71,123.36 (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ तेईस रुपये और छत्तीस पैसे मात्र)** की राशि ब्याज सहित वसूली हेतु बेचा जाएगा।

(₹ लाख में)

अचल संपत्तियो का वर्णन	कब्जा का प्रकार	बयाना राशि (₹)	आरक्षित मूल्य
अचल संपत्तियों का विवरण: भूखंड संख्या G.51 (750 वर्ग मीटर) औद्योगिक क्षेत्र, संडीला, चरण-II, ग्राम-रायसो, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश पर बंधक के रूप में प्रथम भार **सीमाएँ:** **उत्तर** :भूखंड संख्या G-52 **दक्षिण** :12 मीटर, चौड़ी सड़क संख्या 22 **पूर्व** :18 मीटर, चौड़ी सड़क संख्या 24 **पश्चिम** :भूखंड संख्या G-50 उस पर स्थित सभी भवन और संरचनाएँ और मिट्टी से जुड़ी और मिट्टी से जुड़ी किसी भी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी हुई संयंत्र और मशीनरी सहित	भौतिक	₹ 6.15 लाख (केवल छह लाख पंद्रह हज़ार रुपये मात्र)	₹ 61.50 लाख (इकसठ लाख पचास हज़ार रुपये मात्र)
चल संपत्तियो का वर्णन	**कब्जा का प्रकार**	**बयाना राशि (₹)**	**आरक्षित मूल्य**
चल संपत्तियों का विवरण: भूखंड संख्या G.51 औद्योगिक क्षेत्र, संडीला, चरण-II, ग्राम-रायसो, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश जो कि बैंक को बंधक है, पर स्थित सभी संयंत्र और मशीनरी: • Press machine 120 Ton • Ball Polishing Elbow Cold Forming • Machine 80 Ton auto feeding & auto angle adjustment • Cutting machine • Welding machine with rotation desk • ½-3-inch drill machine • Single Beveling machine with Jigs • 250 Kg box type bright annealing furnace for temp 1030deg C • Laser marking machine उपरोक्त सभी मशीनें प्लॉट संख्या जी.51, औद्योगिक क्षेत्र, संडीला, फेज-II, ग्राम-रायसो, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश में स्थित/संलग्न/जकड़ित हैं।	भौतिक	₹ 1.53 लाख (एक लाख तिरपन हज़ार रुपये मात्र)	₹ 15.30 लाख (केवल पंद्रह लाख तीस हज़ार रुपये)

विचाराधीन संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के भार की जानकारी सिडबी को नहीं है, तथा यह खरीददारों की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वे अपने खर्च पर आवश्यक जांच पड़ताल करें।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) प्रतिभु लेनदार की वेबसाइट **www.Sidbi.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

दिनांक: **28.11.2025**
स्थान: **लखनऊ**

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावभीनी विदाई

इंदौर. कंपनी प्रबंधन ने चार अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि समर्पण और ईमानदारी से किया गया कार्य ही लंबे समय तक याद रहता है. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में आयोजित समारोह में सेवानिवृत्त होने वाले अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजय जैन, अभियंता अनुराग मिश्रा, कार्यालय सहायक संजय दवे और वरिष्ठ सुरक्षा सैनिक मनोहर सिंह सवालाखिया को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई. कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान, कार्यपालक निदेशक गजरा मेहता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. प्रबंधन ने चारों कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा और विभाग के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य ही हमेशा स्मरणीय रहते हैं. विदाई स्वरूप सभी को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए. कार्यक्रम के दौरान काव्य पाठ भी हुआ और संयोजन का दायित्व वर्षा खानविलकर ने निभाया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	62212519	संपत्ति के बदले ऋण	15.11.2025	3,08,003.13/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. सुरेंद सिंह राजपूत 2. सरोज राजपूत

संपत्ति का पताः संपत्ति/भूखंड का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 2550 वर्ग फुट, फोन नंबर 30, सर्वे नंबर 370, गांवः धतुरिया राम, तहसीलः सोनकच्छ, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455118 पर स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार हैः- पूर्वः श्री राम का मंदिर, पश्चिमः गोविंद सिंह का घर, उत्तरः लोकल रोड, दक्षिणः सेल्फ प्लॉट

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 29.11.2025
स्थानः देवास

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)